तमिलनाडु सरकार का राजपत्र
असाधारण
प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित

संख्या 224
चेन्नई, शुक्रवार, 14 अक्टूबर, 2005

पुरतासी 28, प्रतिबा, तिरूवल्लूर आनद्- 2036
भाग-IV – खंड 2
तमिलनाडु अधिनियम एवं अध्यादेश

विषय सूची

अधिनियम		पृष्ठ
	2005 का सं. 17 – औद्योगिक प्रयोजनों के लिए तमिलनाडु भूमि अधिग्रहण (संशोधन)	102
	2005 का सं. 18 –तमिलनाडु विशेष आर्थिक क्षेत्र (विशेष प्रावधान)	103 – 110
	2005 का सं. 19 –तमिलनाडु पंचायत (चौथा संशोधन)	111

तमिलनाडु सरकार का राजपत्र असाधारण

तमिलनाडु विधान सभा के निम्नलिखित अधिनियम को 13 अक्टूबर, 2005 को राज्यपाल की सहमति प्राप्त हो गई है तथा इसके द्वारा आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है :

2005 का अधिनियम सं. 17

औद्योगिक प्रयोजनों के लिए तमिलनाडु भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1997 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम

इसे भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में तमिलनाडु राज्य की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम को औद्योगिक प्रयोजनों के लिए तमिलनाडु भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) इसे 12 जुलाई, 2005 को प्रभावी समझा जाएगा।

नई धारा 23 (क) का समावेशन

2. (1) इस अधिनियम को औद्योगिक प्रयोजनों के लिए तमिलनाडु भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1997 (इसके बाद इसे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 23 के बाद निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात: तमिलनाडु अधिनियम (1999 का 10)

"23(क) शक्तियों का प्रत्यायोजन – अधिसूचना द्वारा सरकार यह निदेश दे सकती है इस अधिनियम के तहत सभी शक्तियों, निम्नलिखित शक्तियों को छोड़कर –

(i) धारा 3 की उपधारा (1) के तहत नोटिस जारी करना;

(ii) धारा 4 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के तहत अधिग्रहण से भूमि को वापस लेना;

(iii) धारा 25 के तहत नियम बनाना,

का ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन, जिसे अधिसूचना में निर्धारित किया जा सकता है, कलेक्टर द्वारा प्रयोग किया जाएगा।''

निरसन एवं बचाव

3. (1) औद्योगिक प्रयोजनों के लिए तमिलनाडु भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अध्यादेश, 2005 को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है। तमिलनाडु अध्यादेश (2005 का 1)

(2) ऐसे निरसन के बावजूद मूल अधिनियम जिसे उक्त अध्यादेश संशोधित किया गया है, के तहत किए गए किसी कार्य या उठाए गए किसी कदम को इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तहत किया गया कार्य या उठाया गया कदम समझा जाएगा।

(राज्यपाल के आदेश द्वारा)

(एल. जयशंकरन)
सचिव, तमिलनाडु सरकार
विधि विभाग

तमिलनाडु विधान सभा के निम्नलिखित अधिनियम को 13 अक्टूबर, 2005 को राज्यपाल की सहमति प्राप्त हो गई है तथा इसके द्वारा आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है :

2005 का अधिनियम सं. 18

तमिलनाडु राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान करने तथा इससे संबंधित एवं इससे आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियम

इसे भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में तमिलनाडु राज्य की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए :

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम को तमिलनाडु विशेष आर्थिक क्षेत्र (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) यह तमिलनाडु के पूरे राज्य पर लागू होगा।

(3) इसे 8 अगस्त, 2005 को प्रभावी समझा जाएगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ के तहत अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "प्राधिकरण'' का अभिप्राय धारा 17 की उपधारा (1) के तहत गठित प्राधिकरण से है;

(ख) "सरकार'' का अभिप्राय राज्य सरकार से है;

(ग) "अधिसूचित अपराध'' का अभिप्राय धारा 7 की उपधारा (1) के तहत इस प्रकार निर्दिष्ट अपराध से है;

(घ) "निर्धारित'' का अभिप्राय इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;

(ङ) "विशेष आर्थिक क्षेत्र'' का अभिप्राय विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (जेड-ए) में यथा परिभाषित विशेष आर्थिक क्षेत्र से है;

(च) इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए तथा परिभाषित न किए गए परंतु विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 में परिभाषित किए गए सभी अन्य शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उस अधिनियम में उनके अर्थ निर्धारित किए गए हैं।

केंद्रीय अधिनियम (2005 का 28)

विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करने के लिए दिशानिर्देश

3. कोई विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए बोर्ड को अपनी सिफारिश के साथ प्रस्ताव अग्रेषित करते समय सरकार निम्नलिखित के माध्यम से अपना मार्गदर्शन प्राप्त करेगी, अर्थात -

(क) अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन;

(ख) माल एवं सेवाओं के निर्यात का संवर्धन;

(ग) घरेलू एवं विदेशी सेवाओं से निवेश का संवर्धन;

(घ) रोजगार के अवसरों का सृजन;

(ङ) आधारभूत सुविधाओं का विकास; और

(च) भारत की संप्रभुता एवं एकता, राज्य की सुरक्षा तथा इतर राज्य

से मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखना।

अनुमोदन समिति के अतिरिक्त कार्य

4. अनुमोदन समिति ऐसे अतिरिक्त कार्य कर सकती है जो निर्धारित हो सकता है।

एकल आवेदन फार्म, विवरणी आदि

5. उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी बात के होते हुए भी अपेक्षित होने पर सरकार, -

(क) एक या अधिक राज्य अधिनियमों के तहत किसी विकासक या किसी उद्यमी द्वारा कोई लाइसेंस, अनुज्ञप्ति या पंजीकरण या अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एकल आवेदन फार्म निर्धारित कर सकती है;

(ख) एक या अधिक राज्य अधिनियमों के तहत किसी विकासक या किसी उद्यमी द्वारा विवरणी या सूचना प्रस्तुत करने के लिए एकल आवेदन फार्म निर्धारित कर सकती है।

निरीक्षण करने के लिए एजेंसी

6. उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी बात के होते हुए भी सरकार अधिसूचना द्वारा यथास्थिति विकासक या उद्यमी द्वारा किसी राज्य अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण या निरीक्षण करने के लिए किसी अधिकारी या एजेंसी को अधिकृत कर सकती है तथा ऐसा अधिकारी या एजेंसी ऐसे ढंग से तथा ऐसी अवधि के अंदर सत्यापन एवं अनुपालन रिपोर्टें प्रस्तुत करेगी जो उक्त अधिसूचना में निर्धारित की जा सकती है।

अधिसूचित अपराधों के लिए एकल प्रवर्तन अधिकारी या एजेंसी

7. **(1)** सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अधिसूचित अपराध के रूप में किसी राज्य अधिनियम के तहत दंडनीय बनाए गए किसी कार्य या चूक को निर्दिष्ट कर सकती है।

(2) सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में किए गए किसी अधिसूचित अपराध के संबंध में किसी अधिकारी या एजेंसी को प्रवर्तन अधिकारी या एजेंसी के रूप में अधिकृत कर सकती है।

(3) उपधारा (2) के तहत अधिकृत प्रत्येक अधिकारी या एजेंसी के पास जांच, निरीक्षण, तलाशी या जब्ती के ऐसे सभी तदनुरूपी अधिकार होंगे जो अधिसूचित अपराधों के संबंध में संगत राज्य अधिनियम के तहत प्रदान किए गए हैं।

निरीक्षण, अन्वेषण तथा तलाशी या जब्ती

8. धारा 7 के तहत अधिकृत अधिकारी या एजेंसी संबंधित विकास आयुक्त को पहले सूचना प्रदान करके विशेष आर्थिक क्षेत्र में या किसी यूनिट में अन्वेषण, निरीक्षण, तलाशी या जब्ती कर सकती है, यदि ऐसे अधिकारी या एजेंसी के पास यह विश्वास करने के कारण (कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा) हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में कोई अधिसूचित अपराध हुआ है या होने की संभावना है :

परंतु संबंधित विकास आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बगैर धारा 7 की

उपधारा (2) में उल्लिखित को छोड़कर किसी अधिकारी या एजेंसी द्वारा किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में कोई अन्वेषण, निरीक्षण, तलाशी या जब्ती नहीं की जाएगी।

मुकदमों तथा अधिसूचित अपराधों की सुनवाई करने के लिए नामित न्यायालय

9 (1) मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सरकार निम्नलिखित के लिए एक या अधिक न्यायालय नामित कर सकती है, -

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र में घटित सिविल प्रकृति के सभी मुकदमों की सुनवाई करना; और

(ख) विशेष आर्थिक क्षेत्र में घटित अधिसूचित अपराधों की सुनवाई करना।

(2) उपधारा (1) के तहत नामित न्यायालय को छोड़कर कोई अन्य न्यायालय इस उपधारा में उल्लिखित किसी अधिसूचित अपराध की सुनवाई नहीं करेगा :

परंतु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले जिस न्यायालय में विशेष आर्थिक क्षेत्र में सिविल प्रकृति का कोई मुकदमा दाखिल किया गया है, वह ऐसे प्रारंभ के बाद ऐसे मुकदमे की सुनवाई करना जारी रखेगा;
परंतु यह भी कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले जिस न्यायालय में विशेष आर्थिक क्षेत्र में किसी अधिसूचित अपराध की सुनवाई चल रही है, वह इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद ऐसे अपराध की सुनवाई करना जारी रखेगा;

परंतु यह भी कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले किसी अधिसूचित अपराध की सुनवाई करने के लिए सक्षम न्यायालय इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद घटित ऐसे अपराध के संबंध में तब तक सुनवाई करेगा, जब तक कि उपधारा (1) के तहत न्यायालय नामित नहीं किए जाते हैं तथा ऐसी सुनवाई से संबंधित सभी ऐसे मामले इसके बाद इस प्रकार नामित ऐसे न्यायालय को अंतरित किए जाएंगे जो उस चरण से सुनवाई शुरू करेगा जिस पर ऐसे मामले इस प्रकार अंतरित किए गए हैं।

उच्च न्यायालय में अपील

10. धारा 9 की उपधारा (1) के तहत नामित न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश से उत्पन्न तथ्य या कानून के किसी प्रश्न पर उसे इस प्रकार नामित न्यायालय के निर्णय या आदेश की सूचना की तिथि से 60 दिन के अंदर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है :

परंतु यह कि उच्च न्यायालय, यदि यह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता उक्त अवधि के अंदर पर्याप्त कारण की वजह अपील दाखिल नहीं कर सका, तो उसे ऐसी अवधि के अंदर अपील दाखिल करने की अनुमति प्रदान कर सकता है जो अगले 60 दिन से अधिक नहीं होगी।

कंपनियों द्वारा

11. (1) जहां किसी कंपनी द्वारा कोई अधिसूचित अपराध किया गया

है, प्रत्येक व्यक्ति जो अधिसूचित अपराध घटित होने के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी और कंपनी के लिए जिम्मेदार था, तथा कंपनी को अधिसूचित अपराध का दोषी माना जाएगा तथा तदनुसार, कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए जिम्मेदार होगा : अपराध

परंतु यह कि उपधारा में निहित कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को अधिसूचित अपराध के लिए निर्धारित किसी दंड के लिए जिम्मेदार नहीं करेगी, यदि उसने प्रमाणित कर दिया है कि अधिसूचित अपराध उसकी जानकारी के बगैर किया गया या यह कि उसने ऐसे अधिसूचित अपराध को घटित होने से रोकने के लिए सभी समुचित अध्यवसाय का प्रयोग किया था।

(2) उपधारा (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी कंपनी द्वारा कोई अधिसूचित अपराध किया गया है और यह साबित हो गया है कि अधिसूचित अपराध किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कंपनी के किसी अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से हुआ है या उसकी ओर से कोई उपेक्षा हुई है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी अधिसूचित अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदनुसार, कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए जिम्मेदार होगा।

<u>स्पष्टीकरण</u> – इस धारा के प्रयोजनार्थ, -

(क) "कंपनी'' का अभिप्राय किसी निगमित संस्था से है तथा इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक'' का अभिप्राय फर्म में पार्टनर से है।

12. (1) उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक विकासक या उद्यमी निम्नलिखित छूटों के लिए हकदार होगा, अर्थात: प्रत्येक विकासक एवं उद्यमी को छूटें

तमिलनाडु अधिनियम (1959 का 1)

(क) तमिलनाडु सामान्य बिक्री अधिनियम 1959 के तहत माल के क्रय या विक्रय पर कर लगाए से जाने छूट, यदि ऐसा माल विकासक या उद्यमी द्वारा अधिकृत प्रचालन संचालित करने के लिए है;

तमिलनाडु अधिनियम (1970 का 14)

(ख) तमिलनाडु अतिरिक्त बिक्री अधिनियम 1970 के तहत भुगतान योग्य कर से छूट;

तमिलनाडु अधिनियम (1990 का 13)

(ग) स्थानीय क्षेत्रों में मोटर वाहनों के प्रवेश पर तमिलनाडु कर अधिनियम 1990 के तहत भुगतान योग्य कर से छूट;

तमिलनाडु अधिनियम (2001 का 20)

(घ) स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर तमिलनाडु कर अधिनियम 2001 के तहत भुगतान योग्य कर से छूट;

तमिलनाडु अधिनियम (1981 का 6)

(ड.) तमिलनाडु विलासिता कर अधिनियम 1981 के तहत भुगतान योग्य कर से छूट;

तमिलनाडु अधिनियम (1939 का 10)

(च) तमिलनाडु मनोरंजन कर अधिनियम 1939 के तहत भुगतान योग्य कर से छूट;

तमिलनाडु अधिनियम (1983 का 22)

(छ) तमिलनाडु विज्ञापन कर अधिनियम 1983 के तहत भुगतान योग्य कर से छूट;

तमिलनाडु अधिनियम (2003 का 12)

(ज) विशेष आर्थिक क्षेत्र में बेची गई या उपभोग की गई बिजली के लिए विद्युत के उपभोग या बिक्री पर तमिलनाडु कर अधिनियम 2003 के तहत भुगतान योग्य कर से छूट;

2. सरकार धन जिसमें, और शर्त एवं नियम जिसके अधीन, उपधारा (1) के तहत विकासक या उद्यमी को छूटें प्रदान की जाएंगी, निर्धारित कर सकती है।

छूटों की अवधि

13. सरकार ऐसी अवधि निर्धारित कर सकती है जिसके दौरान करों के भुगतान के बगैर किसी यूनिट या विशेष आर्थिक क्षेत्र में लाया गया कोई माल या प्रदान की गई सेवा ऐसी यूनिट या विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रदान की जाती रहेगी।

स्वामित्व का अंतरण तथा माल हटाना

14. किसी यूनिट या विशेष आर्थिक क्षेत्र में लाए गए या उत्पादित किए गए या निर्मित किए गए किसी माल में स्वामित्व का अंतरण या ऐसी यूनिट या एसईजेड से उसका निवारण ऐसी शर्तों एवं नियमों के अधीन अनुमत होगा जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

यूनिटों द्वारा घरेलू स्वीकृति

15. इस संबंध में सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में निर्धारित शर्तों के अधीन, -

(क) किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र से घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में पहुंचाए गए किसी माल पर तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959 तथा तमिलनाडु अतिरिक्त बिक्री कर अधिनियम, 1970 के तहत बिक्री कर तथा अतिरिक्त बिक्री कर और स्थानीय क्षेत्रों में तमिलनाडु मोटर वाहन प्रवेश अधिनियम, 1990 और स्थानीय क्षेत्रों में तमिलनाडु माल का प्रवेश अधिनियम, 2001 के तहत प्रवेश कर प्रभारित किया जाएगा, जहां लागू हो, जो आयात होने पर ऐसे माल पर लगाया जा सकता है; और

तमिलनाडु अधिनियम (1959 का 1)
तमिलनाडु अधिनियम (1970 का 14)
तमिलनाडु अधिनियम (1990 का 13)
तमिलनाडु अधिनियम (2001 का 20)

(ख) विशेष आर्थिक क्षेत्र से हटाए गए माल पर लागू बिक्री कर, अतिरिक्त बिक्री कर तथा प्रवेश कर, यदि कोई हो, की दर ऐसे निवारण की तिथि को यथा लागू दर के अनुसार होगी और जहां ऐसी तिथि का सुनिश्चय नहीं किया जा सकता है, कर के भुगतान की तिथि को लागू दर के अनुसार होगी।

विशेष आर्थिक

16. (1) सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकती है कि धारा 12 को छोड़कर

क्षेत्रों के संबंध में इस अधिनियम या अन्य अधिनियमनों के प्रावधानों को संशोधित करने की शक्ति

इस अधिनियम या किसी अन्य राज्य अधिनियम, इसके तहत बनाए गए किसी नियम या विनियम या इसके तहत जारी किए गए किसी आदेश या अधिसूचना या प्रदान किए गए निदेश (नियम या विनियम बनाने से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर) के कोई प्रावधान –

(क) किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र या विशेष आर्थिक क्षेत्रों के किसी वर्ग या सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे; या

(ख) केवल ऐसे अपवादों, संशोधन एवं अनुकूलन के साथ किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र या विशेष आर्थिक क्षेत्रों के किसी वर्ग या सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर लागू होंगे, जो अधिसूचना में निर्धारित किए जा सकते हैं :

परंतु यह कि इस धारा में निहित कोई बात किसी राज्य अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या विनियम या जारी की गई किसी अधिसूचना या आदेश या उसके तहत दिए गए निदेश या बनाई गई योजना से किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी, जहां तक ऐसा संशोधन, नियम, विनियम, अधिसूचना, आदेश या निदेश या योजना मजदूर संघों, औद्योगिक एवं श्रम विभागों, कार्य की स्थितियों सहित श्रम कल्याण, भविष्य निधि, कर्मचारी देयता, कामगार क्षतिपूर्ति, अमान्यता तथा वृद्धा पेंशन और किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में लागू मातृत्व लाभ से संबंधित मामलों से संबंध रखती है।

(2) उपधारा (1) के तहत जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की प्रति मसौदा के रूप में विधान सभा के पटल पर कुल 30 दिन की अवधि के लिए उस समय रखी जाएगी जब सत्र चल रहा होगा, जिसमें एक सत्र या दो या अधिक लगातार सत्र शामिल हो सकते हैं और यदि सत्र के समाप्त के ठीक पूर्व अगले सत्र या उत्तरवर्ती सत्रों में विधान सभा अधिसूचना जारी करने से असहमत होगी या विधान सभा अधिसूचना में कोई संशोधन करने के लिए सहमत होगी, तो यथास्थिति अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी या तभी जारी की जाएगी जब विधान सभा की सहमति के अनुसार उसमें ऐसे संशोधन किए जाएंगे।

प्राधिकरण का गठन

17. (1) सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्र (केंद्र सरकार द्वारा स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्रों को छोड़कर) के लिए एक प्राधिकरण का गठन करेगी जो इस अधिनियम के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करेगा और सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करेगा।

(2) प्रत्येक प्राधिकरण निगमित निकाय होगा जिसके पास शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुहर होगी और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अचल एवं चल संपत्ति दोनों का अधिग्रहण करने, धारण करने और बेचने तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह मुकदमा कर सकता है तथा उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

(3) प्रत्येक प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो सरकार उपधारा (1) में उल्लिखित अधिसूचना में निर्धारित कर सकती है।

(4) प्रत्येक प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे -

(क) विकासक का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य जो सरकार द्वारा नामित किया जाएगा तथा यह अध्यक्ष होगा;

(ख) कारखाना, जनस्वास्थ्य तथा नगर एवं देहात आयोजना के विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक-एक अधिकारी जो सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे, जिनकी रैंक इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है;

(ग) सरकार द्वारा उद्यमियों में से नामित एक सदस्य;

(घ) सरकार द्वारा नामित एक सदस्य जिसके पास विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित औद्योगिक यूनिटों के तकनीकी या अन्य पहलुओं के संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान होगा;

(ड.) विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित औद्योगिक यूनिटों में नियुक्त व्यक्तियों के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकार द्वारा नामित एक सदस्य;

(च) प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक।

(5) पदेन सदस्यों को छोड़कर, प्राधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल ऐसा होगा जो निर्धारित किया जा सकता है।

(6) कोई प्राधिकरण ऐसे ढंग से, ऐसी शर्तों के अधीन तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए जो निर्धारित किए जा सकते हैं, किसी व्यक्ति से अपने आपको जोड़ सकता है जिसकी सहायता या सलाह अपने कार्यों के प्रभावी ढंग से निर्वहन में लेना चाहता है और वह व्यक्ति ऐसा भत्ता या शुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(7) प्राधिकरण के कुल सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य कोरम का निर्माण करेंगे और प्राधिकरण के सभी कार्य मौजूद सदस्यों के बहुमत द्वारा तय किए जाएंगे।

(8) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित कारण से अमान्य नहीं होगी, -

(क) प्राधिकरण की संरचना में कोई रिक्ति या कोई दोष; या

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में काम करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष; या

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में ऐसी अनियमितता जो मामले के मेरिट को प्रभावित नहीं करती है।

(9) प्रत्येक प्राधिकरण की बैठक ऐसे समय पर एवं स्थान पर होगी तथा अपनी बैठक में कार्य के संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन किया जाएगा (ऐसी बैठकों में कोरम सहित) जो निर्धारित किया जा सकता है।

प्राधिकरण के अधिकारी एवं अन्य स्टाफ

18. (1) विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसके लिए उसे इस प्रकार नियुक्त किया गया है, का प्रत्येक विकास आयुक्त संबंधित प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक होगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कार्यों का निर्माण करेगा जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

(2) प्रत्येक प्राधिकरण इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन के लिए ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है

जिसे यह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के तहत नियुक्त ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की विधि, सेवा की शर्तें तथा वेतनमान एवं भत्ते ऐसे होंगे जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

प्राधिकरण के कार्य

19. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसके लिए यह गठित किया गया है, के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए ऐसे कदम उठाना प्रत्येक प्राधिकरण का कर्तव्य होगा जिसे यह उपयुक्त समझे।

(2) उपधारा (1) के प्रावधानों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव के बगैर इसमें उल्लिखित उपाय निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं –

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवसंरचना का विकास;

(ख) विशेष आर्थिक क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देना;

(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्र के कामकाज एवं निष्पादन की समीक्षा करना;

(घ) प्राधिकरण से संबंधित संपत्तियों के प्रयोग के लिए प्रयोक्ता या सेवा प्रभार या शुल्क या किराया निर्धारित करना;

(ड.) ऐसे अन्य कार्य करना जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

निधि का गठन तथा उसका प्रयोग

20. (1) प्रत्येक प्राधिकरण द्वारा एक निधि स्थापित की जाएगी तथा उसमें निम्नलिखित से संबंधित धन जमा किया जाएगा –

(क) सभी अनुदान या ऋण जो प्राधिकरण को प्रदान किए जा सकते हैं;

(ख) प्राधिकरण से संबंधित संपत्तियों के प्रयोग के लिए प्रयोक्ता या सेवा प्रभारों या शुल्कों या किराया की मद में प्राप्त सभी राशियों;

(ग) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियां जो सरकार द्वारा उसे सौंपी जा सकती हैं।

(2) निधि का प्रयोग निम्नलिखित वहन करने के लिए किया जाएगा –

(क) प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य पारिश्रमिक;

(ख) धारा 19 के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में प्राधिकरण का व्यय;

(ग) किसी ऋण को चुकता करना;

(घ) इस अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों पर तथा प्रयोजनों के लिए व्यय;

(ङ) प्राधिकरण का कोई अन्य प्रशासनिक व्यय।

लेखा एवं लेखा परीक्षा

21. (1) प्रत्येक प्राधिकरण समुचित लेखा एवं अन्य संगत रिकार्डों का अनुरक्षण करेगा और ऐसे रूप में वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा जो निर्धारित किया जा सकता है।

(2) प्रत्येक प्राधिकरण के लेखाओं की ऐसे प्राधिकारी द्वारा तथा ऐसे अंतरालों पर लेखा परीक्षा की जाएगी जो निर्धारित किए जा सकते हैं तथा ऐसी लेखा परीक्षा के सिलसिले में किया गया कोई व्यय प्राधिकरण द्वारा देय होगा।

(3) निर्धारित प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक प्राधिकरण के प्रमाणित लेखा तथा उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट वार्षिक आधार पर सरकार को अग्रेषित की जाएगी और सरकार उसे विधान सभा के पटल पर रखवाएगी।

सरकार द्वारा निदेश

22. प्रत्येक प्राधिकरण ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा जो सरकार द्वारा इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए समय – समय पर उसे जारी किए जा सकते हैं।

विवरणियां एवं रिपोर्टें

23. (1) प्रत्येक प्राधिकरण सरकार को ऐसे समय पर तथा ऐसे रूप में या ढंग से जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है या निदेश दिया जा सकता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा यूनिटों के प्रचालन एवं अनुरक्षण तथा निर्यात के संवर्धन एवं विकास के संबंध में ऐसी विवरणियां एवं विवरण तथा ऐसे वक्तव्य प्रस्तुत करेगा जो सरकार द्वारा समय – समय पर अपेक्षित हो सकते हैं।

(2) उपधारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव के बगैर प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र प्रत्येक प्राधिकरण सरकार को पिछले वित्त वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों, नीति तथा कार्यक्रमों का सही एवं पूर्ण लेखा प्रदान करते हुए ऐसे रूप में तथा ऐसी तिथि से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो निर्धारित की जा सकती है।

(3) उपधारा (2) के तहत प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी।

प्राधिकरण का अधिक्रमण करने की शक्ति

24. (1) यदि किसी समय सरकार की यह राय होती है कि प्राधिकरण इस अधिनियम के तहत या इसके द्वारा उसे सौंपे गए कार्य का निर्वहन करने में असमर्थ है या अपने कार्य के निर्वहन में लगातार चूक की है या अपनी शक्तियों से अधिक शक्ति का प्रयोग किया है या उनका दुरुपयोग किया है या स्वेच्छा से अथवा पर्याप्त कारण के बगैर धारा 20 के तहत सरकार द्वारा जारी किए गए किसी निदेश का पालन करने में असफल रहा है, तो सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी अवधि जो छह माह से अधिक नहीं होगी, के लिए प्राधिकरण का अधिक्रमण करेगी, जो अधिसूचना में निर्धारित की जा सकती है:

परंतु यह कि इस उपधारा के तहत अधिसूचना जारी करने से पूर्व सरकार प्रस्तावित अधिक्रमण के विरूद्ध अभिवेदन करने के लिए उस प्राधिकरण को तर्कसंगत समय देगी और प्राधिकरण के अभिवेदनों, यदि कोई हो, पर विचार करेगी।

(2) उपधारा (1) के तहत प्राधिकरण का अधिक्रमण करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर, -

(क) प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य इस प्रकार अधिक्रमण की तिथि से अपने पदों को खाली कर देंगे, भले ही उनका कार्यकाल समाप्त न हुआ हो;

(ख) अधिक्रमण की अवधि के दौरान सभी शक्तियों, कार्यों एवं कर्तव्यों जिनका इस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा या तहत प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर

से निर्वहन किया जा सकता है या प्रयोग किया जा सकता है, का प्रयोग एवं निर्वहन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिसे सरकार निदेश दे सकती है;

(ग) अधिक्रमण की अवधि के दौरान प्राधिकरण में निहित सभी संपत्ति सरकार में निहित होगी।

(3) उपधारा (1) के तहत जारी की गई अधिसूचना में अधिक्रमण की निर्धारित अवधि के समाप्त होने पर सरकार, -

(क) अधिक्रमण की अवधि ऐसी अगली अवधि के लिए बढ़ा सकती है जो छह माह से अधिक नहीं होगी; या

(ख) धारा 17 में किए गए प्रावधान के अनुसार प्राधिकरण का पुनर्गठन कर सकती है।

प्राधिकरण तथा सरकार के सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी लोक सेवक होंगे

केंद्रीय अधिनियम (1860 का 45)

25. प्राधिकरण के सभी सदस्य, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी और सरकार के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जब वे इस अधिनियम या इस अधिनियम के तहत बनाए नियमों के किसी प्रावधान के अनुसरण में काम करेंगे या काम करने के लिए आशयित होंगे, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के तहत लोक सेवक समझे जाएंगे।

सदाशयता में किए गए कार्य का संरक्षण

26. किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या कानूनी कार्यवाही निहित नहीं होगी जो सदाशयता में किया जाता है या इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए किसी नियम या विनियम के तहत किए जाने के लिए आशयित है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण

तमिलनाडु अधिनियम (1999 का 10)

27. (1) विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए विकासक से अनुरोध पर सरकार औद्योगिक प्रयोजनों के लिए तमिलनाडु भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1997 के तहत अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण कर सकती है और सरकार द्वारा नियुक्त भूमि अधिग्रहण स्टाफ, यदि कोई हो, की लागत सहित अधिग्रहण की लागत के भुगतान पर विकासक को भूमि का अंतरण कर सकती है।

(2) सरकार ऐसी शर्तों एवं नियमों जो उसके द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, के अधीन विकासक को अपने स्वामित्व वाली कोई भूमि भी अंतरित कर सकती है।

अधिनियम का अधिभावी प्रभाव होगा

केंद्रीय अधिनियम (2005 का 28)

इस अधिनियम के प्रावधान विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के अलावा होंगे तथा इसके अनादर में नहीं होंगे तथा उस समय लागू किसी अन्य राज्य कानून में इससे असंगत कोई बात निहित होने के बावजूद प्रभावी होंगे।

नियम बनाने की शक्ति

29. (1) अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम या जारी की गई अधिसूचना बनाए जाने या जारी किए जाने के बाद यथाशीघ्र विधान सभा के

पटल पर रखी जाएगी और यदि सत्र जिसमें इसे इस प्रकार सदन के पटल रखा जाता है, के समाप्त होने से पूर्व या अगले सत्र में विधान सभा ऐसे नियम या आदेश या अधिसूचना में कोई संशोधन करती है या विधान सभा निर्णय करती है कि नियम या आदेश या अधिसूचना नहीं बनाया जाना चाहिए या जारी नहीं किया जाना चाहिए, तो इसके बाद नियम या आदेश या अधिसूचना यथास्थिति ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगी या कोई प्रभाव नहीं रखेगी, तथापि, यह कि ऐसी कोई अधिसूचना या निरसन ऐसे किसी कार्य की वैधता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी जो उस नियम या आदेश या अधिसूचना के तहत पहले किया गया है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

30. (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ऐसे प्रावधान कर सकती है जो इस अधिनियम तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के प्रावधानों से असंगत नहीं होंगे, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो सकते हैं : केंद्रीय अधिनियम (2005 का 28)

परंतु यह कि इस अधिनियम के लागू होने से 2 साल बीत जाने के बाद ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के तहत जारी किया गया प्रत्येक आदेश बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के सदन के पटल पर रखा जाएगा।

बचाव

31. विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में किसी राज्य कानून के तहत बनाए गए या बनाए जाने के लिए आशयित सभी नियमों या जारी की गई अथवा जारी करने के लिए आशयित सभी अधिसूचनाओं, जहां तक वे मामलों से संबंधित हैं जिनके लिए प्रावधान इस अधिनियम अथवा इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों या जारी की अधिसूचना में किए गए हैं तथा उससे असंगत नहीं हैं, को इस अधिनियम के तहत इस रूप में बनाया गया या जारी किया गया समझा जाएगा, मानो कि यह अधिनियम उस तिथि को लागू था जब ऐसे नियम बनाए गए या अधिसूचनाएं जारी की गई तथा तब तक प्रभाव में बने रहेंगे, जब तक कि इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी नियम या जारी की गई किसी अधिसूचना द्वारा उनका अधिक्रमण नहीं किया जाता है।

निरसन एवं बचाव

32. (1) इसके द्वारा तमिलनाडु विशेष आर्थिक क्षेत्र (विशेष प्रावधान) अध्यादेश निरस्त किया जाता है। तमिलनाडु अध्यादेश (2005 का 6)

(2) ऐसे निरसन के बावजूद उक्त अध्यादेश के तहत किए गए किसी कार्य या उठाए गए किसी कदम को इस अधिनियम के तहत किया गया कार्य या उठाया गया कदम समझा जाएगा।

(राज्यपाल के आदेश द्वारा)

(एल जयशंकरन)
सचिव, तमिलनाडु सरकार
विधि विभाग

तमिलनाडु विधान सभा के निम्नलिखित अधिनियम को 13 अक्टूबर, 2005 को राज्यपाल की सहमति प्राप्त हो गई है तथा इसके द्वारा आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है :

2005 का अधिनियम सं. 19

तमिलनाडु पंचायत अधिनियम, 1994 को संशोधित करने के लिए अधिनियम

इसे भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में तमिलनाडु राज्य की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए :

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम को तमिलनाडु पंचायत (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) इसे 2 सितंबर, 2005 को प्रभावी समझा जाएगा।

तमिलनाडु अधिनियम (1994 का 21)

धारा 9 (ख) में संशोधन

2. तमिलनाडु पंचायत अधिनियम, 1994 (इसके बाद यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 (ख) में उपधारा (2) में "6 माह'' शब्द को "12 माह'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

धारा 18 (ख) में संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 18 (ख) में उपधारा (2) में "6 माह'' शब्द को "12 माह'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

तमिलनाडु अध्यादेश (2005 का 7)

निरसन एवं बचाव

4. (1) तमिलनाडु पंचायत (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2005 इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के बावजूद उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तहत किए गए किसी कार्य या उठाए गए किसी कदम को इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तहत किया गया कार्य या उठाया गया कदम समझा जाएगा।

(राज्यपाल के आदेश द्वारा)

(एल जयशंकरन)
सचिव, तमिलनाडु सरकार
विधि विभाग